न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34 / 2015

1 पवन कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा उर्फ खूबचंद भण्डारी।
2 ललित किशोर शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा उर्फ खूबचंद भण्डारी समस्त जाति माटोलिया ब्राहमण निवासीगण कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र गोविन्दराम।
2 नथमल पुत्र दीनदयाल भण्डारी।
3 सुरेश कुमार दीनदयाल भण्डारी।
4 प्रमोद पुत्र दीनदयाल भण्डारी समस्त जाति माटोलिया ब्राहमण निवासीगण कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 हल्का पटवारी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 13.04.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बउनवानी पवन कुमार बनाम महावीर प्रसाद आदि वाद संख्या 45 / 2014

अपील संख्या 67 / 2015

1 पवन कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा उर्फ खूबचंद भण्डारी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 ललित किशोर शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा उर्फ खूबचंद भण्डारी समस्त जाति माटोलिया ब्राहमण निवासीगण कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र गोविन्दराम।
2 नथमल पुत्र दीनदयाल भण्डारी।
3 सुरेश कुमार दीनदयाल भण्डारी।
4 प्रमोद पुत्र दीनदयाल भण्डारी समस्त जाति माटोलिया ब्राहमण निवासीगण कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 हल्का पटवारी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांकित 13.04.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ बउनवानी पवन कुमार बनाम महावीर प्रसाद आदि वाद संख्या 45/2014

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 45/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक ही होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील लक्षमणगढ़ के ग्राम नरोदड़ा की तन में प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 118 क्षेत्रफल 3.12 हेक्टेयर अवस्थित है। वादी/ अपीलार्थीगणद व प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस सं.1 लगायत 4 एक ही खानदान के सदस्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने से समय प्रश्नगत आराजी पर सयुंक्त परिवार का कब्जा काश्त था, लेकिन उस दौरान परिवार का कर्ता होने के कारण रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं. 1 का नाम चलता था। पक्षकारो के पूर्वज गोविन्दराम का स्वर्गवास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने से पहले सन 1954 ई. मे हो गया था। इस कारण राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी की काश्त एकांकी रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित होकर राजस्व प्रलेखो में खातेदारी अंकित हो गई, जिसका सम्मिलित मे रह रहे अन्य दो भाईयो व अब वादीगण के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के समय सयुंक्त परिवार था और तीनों भाईयों के मध्य में विभाजन नही हुआ था। सयुंक्त परिवार होने से कब्जा काश्त भी सयुंक्त मान्य होने योग्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पिता सहदायी होने से वादीगण के पिता का प्रश्नगत आराजी में 1/3 हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिस्सा था, जो विरासतन वादीगण को समभाग में प्राप्त हुआ। वर्तमान खातेदारी बनाम प्रतिवादी सं. 1 अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। यह कि अपीलार्थी/वादीगण के पूर्वज गोविन्दराम का सन् 1954 में स्वर्गवास होने के पश्चात उनके तीनों पुत्रों का सन् 1971 तक सम्मिलित मे रहा तथा परिवार के कर्ता रेस्पो./प्रतिवादी सं. 1 रहे। रेस्पो./प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के पिता दीनदयाल सन् 1971 में सयुंक्त परिवार से पृथक हो गये, लेकिन वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं. 1 का काम धन्धा आय व्यय सम्मिलित मे सन् 1974 तक चलता रहा। दिनांक 24.12.1974 को पक्षकारों के मध्य मे विभाजन की लिखावट निष्पादित हुई, जो पंचो की उपस्थिति में निष्पादित हुई। वादीगण की दादी श्रीमती जडाववदेवी का स्वर्गवास सन् 1989 मे हो गया। पारिवारीक व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत आराजी की काश्त उपज पैदावार को उक्त श्रीमती जडाववदेवी अपने जीवनकाल में प्राप्त करती रही। आपसी पारिवारीक विभाजन की उक्त लिखावट दिनांकित 24.12.1974 से भी उक्त तथ्य साबित है। उक्त लिखावट मे यह साफ अंकन है कि मां अर्थात जडाववदेवी के बाद खेत तीनों भाइयों का होगा। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं की कबूलियत है। प्रतिवादी सं. 1 अपने व्यवहार आचरण से विधिक अधिकार नहीं है। प्रश्नगत आराजी अपीलार्थी/वादीगण की पैत्रिक है। पक्षकारान अपनी पारिवारीक व्यवस्था के अनुसार कमवार काश्त कर रहे है। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वर्तमान गलत खातेदारी को निरस्त करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा हेतू प्रस्तुत किया गया। वादीगण के नाम राजस्व प्रलेखो में खातेदारी अंकित करवायी जाकर प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की सहायता चाही गई। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा इस आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई वाद वादी खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में जवाब दावा के तथ्य नही देखे जा सकते है, न ही दस्तावेजात देखे जा सकते है, न ही तथ्य के किसी प्रश्न पर विवेचना किया जाना सम्भव है, न ही तथ्य के किसी प्रश्न की अवधारणा किया जाना कानूनन सम्भव है। तथ्य के प्रश्न का निर्धारण विवाधको की रचना के बाद साक्ष्य के उपरान्त किया जाना सम्भव है। वाद पत्र की धारा 7 में वादकारण अंकित किया हुआ है। वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर दिनांक 31.03.2015 को सुनी जाकर वास्ते आदेश 07.04. 2015 नियत की गई और 07.04.2015 को दिनांक 10.04.2015 नियत की गई। दिनांक 10.04.2015 को अपीलार्थी के पीठ पीछे विपक्षी द्वारा प्रलेख पेश किये गये, जिन्हे गलत रूप से निर्णय का सार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य के प्रश्न का अंतिम निस्तारण चुनौतिग्रस्त आदेश के माध्यम से करने का जो प्रयास किया गया है, वह अविधिक व अनुचित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादौत्तर पेश किया जा चुका था। दावा व जवाब दावा में अंकित कथन उभयपक्ष की साक्ष्य (मौखिक व दस्तावेजी) के द्वारा ही निर्णित होना सम्भव होने की विधिक व्यवस्था को अनदेखा कर व राजस्व मैनुवल व प्रकिया को अनदेखा कर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं प्रकरण विचारण न्यायायल को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू एल सी 2011 (3) पेज 349, डी एन जे 2012 (2) राज. पेज 806, आर एल डब्ल्यू 2012 (4) पेज 3402 एवं डब्ल्यू एल सी 2012 (3) पेज 142 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वर्णित आराजी काश्तकारी कानून प्रभावशील होने से पूर्व प्रति. सं. 1 के खातेदारी व एकांतिक कब्जे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्त की है। जिसमें वादीगण का हक हिस्सा नही हैं संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी नही है। वादीगण का कथन है कि प्रति. सं. 1 उस समय कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के खसरा नम्बर 118 रकबा 3.12 हैक्टेयर ग्राम नरोदड़ा मे 1/3 हक हिस्से की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जमाबंदी सं. 2061–64 में उक्त आराजी महावीर पुत्र गोविन्दराम ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2010 में भी खातेदार महावीर दर्ज है। पुराने राजस्व रिकार्ड, गिरदावरी स्लिप आदि मे भी यही अंकन आ रहा है। वादी की ओर से वाद मे लिखापढी व परिवार बंटवारा आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है जो न तो विधिक रूप से प्रमाणित है न ही पंजीकृत है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व अन्य तथ्यों से वादग्रस्त आराजी पैतृक होना अथवा वादीगण का कोई हक हिस्सा होना प्रमाणित नही होता है। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से आराजी प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज होना जमाबंदी सं. 2010 से बखुबी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद कारण हासिल होना प्रकट नही होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी काश्तकारी कानून प्रभावशील होने से पूर्व प्रति. सं. 1 के खातेदारी व एकांतिक कब्जे काश्त की है। जिसमें वादीगण का हक हिस्सा नही हैं संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी नही है। वादीगण का कथन है कि प्रति. सं. 1 उस समय कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के खसरा नम्बर 118 रकबा 3.12 हैक्टेयर ग्राम नरोदड़ा मे 1/3 हक हिस्से की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जमाबंदी सं. 2061–64 में उक्त आराजी महावीर पुत्र गोविन्दराम ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2010 में भी खातेदार महावीर दर्ज है। पुराने राजस्व रिकार्ड, गिरदावरी स्लिप आदि मे भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यही अंकन आ रहा है। वादी की ओर से वाद मे लिखापढी व परिवार बंटवारा आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है जो न तो विधिक रूप से प्रमाणित है न ही पंजीकृत है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व अन्य तथ्यों से वादग्रस्त आराजी पैतृक होना अथवा वादीगण का कोई हक हिस्सा होना प्रमाणित नही होता है। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से आराजी प्रति. सं. 1 के नाम दर्ज होना जमाबंदी सं. 2010 से बखुबी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद कारण हासिल होना प्रकट नही होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर